न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 187/2024

अनवान : –

1. भूराराम पुत्र हिराराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. पृथ्वीराज पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. बबाराम पुत्र ईसरराम जाति बाजीगर निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
4. पंजीयक कार्यालय उप तहसील फेफाना तहसील नोहर।

– गैरसायलान

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**

<u>**निर्णय**</u> दिनांकः 09/07/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 139/139 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि सायला व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान व गैरसायल का खाता मुश्तरका है सायलान का गैरसायल से सींव लगान व काश्त आदि का झगड़ा रहता है। गैरसायलान अजनबी क्रेतागण को वाद भूमि पर विभाजन से पहले काबिज करवाना चाहते है एवं अच्छी भूमि का बैचान करना चाहते है। अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी। अतः गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से कन्फर्म किया जावे की जब तक खाता विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 139/139 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि मे अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के विशेष हिस्से का बेचान न करे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 14 केएनएन [illegible] 139/139 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम संयुक्त [illegible] है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के [illegible] रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में [illegible] पर तय होना है [illegible] एवं अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:24:28 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी लेकिन विशेष हिस्से का बेचना करने से प्रार्थी को भी अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष मे बनता है। जब प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी आशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः विशेष हिस्से के बेचान न करने हेतु उभयपक्षों को पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 139/139 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि के ताफैसला वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष विशेष हिस्से का बेचान करने से निषिद्ध रहे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:24:28 IST
Reason: SelfAttested